समाहरणालय, सिवान

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–:आदेश:–

निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना के पत्रांक 894 दिनांक 26.06.2018 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारियों का आधार/ आधार पंजीयन सं0 तथा जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.07.2018 से 10.07.2018 तक विशेष शिविर के आयोजन करने का निदेश प्राप्त है।

विदित हो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क अन्तर्गत सभी पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। कतिपय जिला से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि पेंशनधारियों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशनधारियों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि जा रहीं है। और यह स्थिति अनवरत जारी है। पेंशनधारियों की मृत्यु की स्थिति में पंचायत सेवकों द्वारा यथाशीध्र इसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जानी चाहिए एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब उस पेंशनधारी को मृत की श्रेणी में रखते हुए ब्लॉक लॉक्ड की सूची में उसे Delete कर देना चाहिए। किन्तु इस प्रकार के Deletion नही किये जाने एवं मृत पेंशनधारियों की सूची को भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा Freeze किये जाने के कारण उनके खाते में पेंशन राशि अन्तरित हो जा रहीं है। मृत पेंशनधारियों के खाते में राशि अंतरित होने पर उसे वापस सरकार क कोष में जमा करने में भी कठिनाई है एवं इससे सरकारी कार्यो में अनावश्यक विलम्ब होता है।

उपरोक्त आलोक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन हेतु साल में कम से कम एकबार जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्राप्त कर लिया जाय। **जीवन प्रमाण पत्र 01 जुलाई से 10 जुलाई 2018 तक प्रखण्ड स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कार्यालय में शिविर लगाकर प्राप्त किया जाय। शिविर में निम्न प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय:–**

1. **शिविर में सभी पेंशनधारी अपना आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।** पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा या अन्य सक्षम कर्मी पेंशनधारी के आधार संख्या की जाँच करेंगे एवं विहित प्रपत्र (संलग्न) में उनसे जीवन प्रमाण पत्र–सह–सहमति पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जीवन प्रमाण पत्र–सह–सहमति पत्र पर पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा भी यह प्रमाणित करते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे कि उन्हे पेंशनधारी को जीवित देखा है।
2. जिन पेंशनधारी का आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, पे तुरंत प्रखण्ड कार्यालय में स्थित आधार पंजीकरण केन्द्र पर अपना आधार पंजीकरण करायेंगे एवं विहित प्रपत्र में आधार संख्या के स्थान पर आधार पंजीकरण संख्या अंकित करेंगे। आधार पंजीकरण हेतु पेंशनधारी आवश्यक कागजात अपने साथ लेकर शिविर में आयेंगे।
3. शिविर के पूर्व ही प्रखण्डवार/पंचायतवार/योजनावार पेंशनधारियों की सूची ई–लाभार्थी पोर्टल से डाउनलोड कर पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा का उपलब्ध करा दी जाय। शिविर में इस सूची के आधार पर लाभार्थियों से जीवन प्रमाण पत्र–सह– सहमति पत्र प्राप्त किया जाय। शिविर में पंचायतवार/पंचायत समूहवार काउंटर की व्यवस्था की जाये, ताकि पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में सहुलियत हो।
4. शिविर के पूर्व ही जीवन प्रमाण पत्र –सह– सहमति पत्र का प्रपत्र पर्याप्त मात्रा में प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे ताकि वें पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा को उपलब्ध करा सके। उक्त प्रपत्र पेंशनधारियों को निःशुल्क दिये जायेंगे।
5. **शिविर का प्रचार प्रसार समाचार–पत्र, बैनर, पोस्टर, माईकिंग आदि** के द्वारा भी किया जाय, शिविर में वृद्ध एवं निःशक्त लोगो के लिए प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
6. **शिविर में कानुन व्यवस्था के संधारण** हेतु **संबंधित थानों को भी सूचित किया जाय।**
7. सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी के रुप में नियुक्त किये जाते है। जो इस कार्य का सत्त अनुश्रवण करेंगे।

c:\users\abc\desktop\ssc.docx

8. जिला स्तर पर शिविर के अनुश्रवण हेतु प्रभारी सहायक निदेशक इसके नोडल पदाधिकारी होगे, जो सभी प्रखण्डों से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेगे। यह भी सूनिश्चित करेंगे की शत प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाय।

अतः, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान/नगर पंचायत मैरवा, महाराजगंज को उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिदिन का प्रगति प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में भेजना सूनिश्चित करेगें।

प्रखण्ड का नाम	तिथि	पंचायत का नाम	कितने पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ की सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

Sd/-

जिला पदाधिकारी
सिवान।

संचिका सं0XXXVI-01/18ज्ञापांक ......453....../सा0सु0, दिनांक 27/6/2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, /सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सिवान/नगर पंचायत मैरवा/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र, (महाराजगंज) सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में लगातार 1.07.2018 से 10.07.2018 तक प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आयोजित शिविर में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/ महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आयोजित शिविर में विधि – व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सिवान को आधार पंजीकरण के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त,/ अपर समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक,सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना को उनके पत्रांक 894 दिनांक 26.06.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 27.06.18

जिला पदाधिकारी
सिवान।

c:\users\abc\desktop\ssc.docx

१

बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

जीवन प्रमाण पत्र -सह- सहमति पत्र हेतु विहित प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमती .... पिता/पति का नाम- ....

ग्राम/मुहल्ला/वार्ड-.............................. पंचायत-.................................. प्रखण्ड-...............................

जिला-............................... आधार संख्या / आधार पंजीकरण संख्या- ....

का धारक हूँ। यह कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या / आधार पंजीकरण संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं।

पेंशनधारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को मैंने देखा है और इनके द्वारा दी गयी सूचना सही है। वे इस तिथि तक जीवित हैं।

पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा/अन्य नामित कर्मी
का हस्ताक्षर

नाम- ....

पदनाम- ....